

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक:एफ 9(4)(33) छात्रवृत्ति/शै.स.2024-25/सान्याअवि/ 17422

दिनांक : 13-11-2024

आदेश

शैक्षणिक सत्र 2024-25 में राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं में यथा अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु समुदाय/मिरासी एवं भिश्ती समुदाय तथा मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय/राजकीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत (कक्षा 11 व 12 के अतिरिक्त) शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों से बेव पोर्टल www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा एसएसओ पोर्टल पर स्कॉलरशिप एसजेई एप अथवा मोबाईल ऐप एसजेईडी एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाईन पेपरलैस छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :-

क्र.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलैस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि	14 नवम्बर 2024
2.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलैस ऑनलाईन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने हेतु अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	31 जनवरी 2025

विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2024-25 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. आय सीमा :-

(अ) अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अति. पिछड़ा वर्ग (MBC) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT), मिरासी एवं भिश्ती समुदाय हेतु उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

(ब) डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) में

Signature valid
Digitally signed by Dr. Anil Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2024.11.12 13:05:42 IST
Reason: Approved

आवेदन कर सकेंगे। जैसे- बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी. एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री / पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री / पुत्र ।

(स) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में 5.00 लाख रु. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।

2. **फ्रीशिप कार्ड :-**

अनुसूचित जाति (SC), डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) एवं डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय बिना अग्रिम शुल्क जमा करवाये प्रवेश लिए जाने हेतु उन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सुनिश्चितता हेतु फ्रीशिप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। फ्रीशिप कार्ड को सम्बंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार्य किये जाने पर विद्यार्थी का फ्रीशिप कार्ड छात्रवृत्ति आवेदन के रूप में स्वतः परिवर्तित होकर शिक्षण संस्थान के स्तर पर प्रदर्शित होगा।

3. **आवेदन प्रक्रिया :-**

सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन स्वयं पासवर्ड सृजित कर अथवा ई-मित्र/साइबर कैफे / शैक्षणिक संस्थान से आवेदन करने पर समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइनल सबमिट करें।

4. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं की ही दें।

5. **दस्तावेज :-**

उक्तानुसार छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज / सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा सभी दस्तावेज जनाधार/राज ई वोल्ट / डीजी लॉकर से ऑनलाइन ही लिये जाएंगे जैसे- आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, गत वर्ष की अंकतालिकाएँ आदि। वांछित दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध नहीं होने पर मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।

6. **विद्यार्थियों की आधारभूत सूचना व आय विवरण में परिवर्तन :-**

नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर, आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण आदि जनाधार पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं जनाधार पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता होने पर शैक्षणिक रिकार्ड के अनुसार जनाधार पोर्टल में अंकित सूचना में ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।

7. **जनाधार आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी जनाधार पोर्टल पर नहीं जा सकेगी।**

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation : Director
Date: 2024.11.12 13:05:42 IST
Reason: Approved

8. विद्यार्थी का बैंक विवरण :

विद्यार्थी का बैंक खाता आधार सीडेड होना अनिवार्य (यह प्रक्रिया खाता आधार लिंक से भिन्न है, कृपया बैंक से संपर्क कर बैंक खाता आधार सीडेड करवायें), KYC पूर्ण होना, ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई सीमा का निर्धारण न हो, खाता बन्द न हो एवं बैंक खाता माईनर न हो।

9. शुल्क संरचना :- शिक्षण संस्थान पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क संरचना पेज पर अंकित 8 मद यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4. खेल-कूद शुल्क (Games Fee), 5. संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6. पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7. पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8. परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का विवरण अंकित करेंगे। जिसके अनुसार ही उस पाठ्यक्रम के समस्त विद्यार्थियों को योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति देय होगी। अतः शैक्षणिक संस्थान इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।

10. शिक्षण संस्थान व पाठ्यक्रम का चयन :

आवेदन में केवल छात्रवृत्ति पोर्टल पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान व उसके पाठ्यक्रम आवेदन हेतु प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान / पाठ्यक्रम / योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।

11. विद्यार्थी की बायोमैट्रिक उपस्थिति :

विद्यार्थी द्वारा आवेदन को शिक्षण संस्थान में प्रथम बार अग्रेषित किये जाने के पश्चात से ही विभाग द्वारा आवेदन का निस्तारण होने तक माह में कम से कम एक बार शिक्षण संस्थान में उपस्थित होकर छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य है। जिसके अभाव में आवेदन अग्रेषित एवं स्वीकृत किया जाना संभव नहीं होगा। इस हेतु शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमैट्रिक उपस्थिति डिवाइस पंजीकृत किया जाना होगा।

12. शिक्षण संस्थान का पोर्टल पर प्रदर्शन :-

जिन महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2024-25 की मान्यता ६ सम्बद्धता एवं पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्राप्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अथवा अपडेशन नहीं किया है वे संस्थाएं छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यार्थियों को प्रदर्शित नहीं होगी। इसके अभाव में विभाग द्वारा महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन नहीं कर सकेंगे। अतः शिक्षण संस्थानों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन करने से पूर्व निम्न अर्हता प्राप्त कर छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीयन किया जाना अनिवार्य है :-

- A. शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए संबंधित विश्वविद्यालय के अध्यक्ष/प्रमुख से महाविद्यालय की मान्यता, संचालित पाठ्यक्रम की अनुमति प्राप्त करना।
- B. छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत संस्थानों द्वारा

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2024.11.12 13:05:42 IST
Reason: Approved

नियामक एजेन्सी द्वारा जारी कोड के माध्यम से ही ऑनलाईन पंजीयन किया जावेगा। अतःकेन्द्र/राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत सक्षम एजेन्सी से AISHE Code प्राप्त करना।

- C. शिक्षण संस्थान के स्तर पर विद्यार्थी की आधार बेस्ड रियलटाइम बायोमैट्रिक उपस्थिति हेतु शिक्षण संस्थान को विभाग द्वारा केवल एक ही स्टेटिक आई.पी. एड्रेस अनुमत किया जायेगा। परन्तु संस्थान में 500 से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन होने की स्थिति में प्रति 500 आवेदकों के गुणक के रूप में एक से अधिक आई.पी. विभाग द्वारा अनुमत की जा सकेगी। अतः उक्त से संबंध में वांछित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- D. छात्रवृत्ति आवेदन की प्राप्ति से स्वीकृति तक अथवा सत्र पूर्ण होने तक, में से जो भी पहले हो के दौरान संस्थान द्वारा प्रत्येक माह में संबंधित विद्यार्थी की न्यूनतम एक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमैट्रिक मशीन के जरिये सुनिश्चित की जायेगी, जिसे छात्रवृत्ति पोर्टल से रियल टाईम इंटरलिंग किया जायेगा। अतः उक्त के संबंध में वांछित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
13. शिक्षण संस्थान जिस जिले में स्थित है विद्यार्थी का आवेदन पत्र उस जिले के जिला कार्यालय द्वारा निस्तारित किया जायेगा। जयपुर जिले में सांगानेर झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोड़कर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय द्वारा निस्तारित किये जायेंगे

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं से संबंधित केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन दिशा-निर्देश की विस्तृत जानकारी के लिए www.sjmsnew.rajasthan.gov.in/scholarship अथवा विभागीय वेब साइट sje.rajasthan.gov.in का अनिवार्य रूप से अवलोकन कर लें।

(बचनेश कुमार अग्रवाल)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:एफ 9(4)(33) छात्रवृत्ति/शै.स.2024-25/सान्याअवि/ 17423-500

दिनांक : 13-11-2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, जयपुर।

Signature valid
Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2024.11.12 13:05:42 IST
Reason: Approved

6. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/संस्कृत, बीकानेर/जयपुर।
8. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग, जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर्स/कोषाधिकारी, (समस्त)।
10. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
11. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
12. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय / निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, समस्त.....।
13. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....।
14. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालय समस्त.....।
15. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय/ राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....।
16. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....।
17. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएं.....।
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक आई. टी.)मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाईट पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
19. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने तथा अपने जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
20. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
21. संयुक्त/उप/सहायक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी सान्याअवि (समस्त).....।
22. रक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

Signature valid

Digitally signed by Bachanesh
Kumar Agrawal
Designation: Director
Date: 2024.11.12 13:05:42 IST
Reason: Approved